प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 12 नवम्बर, 2024

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुकेश पुत्र श्री कशमीर सिंह यादव, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-23099/प्रो0अनु0(2)/2024(बैठक दिनांक 24.07.2024),दिनांक 01.08.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मुकेश पुत्र श्री कशमीर सिंह यादव ग्राम-भागीपुर उमराह, थाना-कम्पिल, जनपद-फर्रूखाबाद का निवासी है। घटना से लगभग 03 वर्ष पूर्व में हुयी ईनाम सिंह नामक व्यक्ति की हत्या को लेकर दानो पक्षों के मध्य चल रही मुकदमें बाजी की रंजिश को लेकर दिनांक 05-03-1996 को बन्दी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक व तमंचों से गोली मारकर सन्ने सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-460/1996 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सेशन जज, न्यायालय सं0-3 फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 17-02-2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश 30-05-2022 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया, बंदी द्वारा दिनांक 27.06.2024 तक 15 वर्ष, 03 माह, 06 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 10 माह 14 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु 27.06.2024 तक लगभग 49 वर्ष (रजि0नं0-1 के अनुसार) है।

3- पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट फर्रूखाबाद द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी को कारागार से रिहा किये जाने पर अपराध की पुनरावृत्ति की सम्भावना होने, पुन: अपराध करने में सशक्त होने, दोनो पक्षों के मध्य विवाद पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होने, मृतक के परिजनों में रोष एवं भय व्याप्त होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट फर्रूखाबाद की अध्यक्ष्ता में गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 30-06-2023 को बन्दी के शारीरिक व मानसिक रूप से सशक्त होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- सलाहकार समिति का अभिमत है कि कि घटना से लगभग 03 वर्ष पूर्व में हुयी ईनाम सिंह नामक व्यक्ति की हत्या को लेकर दानो पक्षों के मध्य चल रही मुकदमें बाजी की रंजिश को लेकर दिनांक 05-03-1996 को बन्दी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक व तमंचों से गोली मारकर सन्ने सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस प्रकार पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने, पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्गत अभिमत दिनांक 25-06-2024 द्वारा समयपूर्व रिहाई का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित नहीं होने की आख्या अंकित किये जाने एवं बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी0 की धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मुकेश पुत्र श्री कशमीर सिंह यादव को उ0प्र0 जेल मैनुअल प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मुकेश (बन्दी सं0-24324) पुत्र श्री कशमीर सिंह यादव, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-284/2024/1197(1)/22-2-2024 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज को मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित क्रिमिनल मेसलीनियस रिट पिटीशन सं0-19658/2023 मुकेश बनाम उ0प्र0 राज्य व 04 अन्य में पारित आदेश दिनांक 21-12-2023 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।